संख्या-657/2021/आई/116604/ 41-1099/87/2019

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 25 नवम्बर, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद प्रतापगढ़ में घुइसरनाथ धाम में राष्ट्रीय एकता महोत्सव के आयोजन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-841/15-1-838(25)/ट्रै0ट्रे0/2021, दिनांक 23.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से 09- जनपद प्रतापगढ़ में घुइसरनाथ धाम में राष्ट्रीय एकता महोत्सव का आयोजन-20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि को अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-2875/15-1-1435/टी0टी0/टी0सी0/2018-19, दिनांक 14.09.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रश्नगत मद में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु जनपद प्रतापगढ़ के तहसील-लालगंज स्थित घूइसरनाथ धाम में राष्ट्रीय एकता महोत्सव हेतु अनुदान सं0-44 में राजस्व मद के लिए लेखाशीर्ष/उपशीर्ष में प्रावधानित धनराशि को निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित लेखाशीर्ष/मानक मद में उनके सम्मुख स्तम्भ-3 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रु0 लाख में)

क्र	मद/उप शीर्षक	प्रावधानित धनराशि	अवमुक्त किये जाने हेतु धनराशि
1	2	3	4
1	अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-09- जनपद प्रतापगढ़ में घुइसरनाथ धाम में राष्ट्रीय एकता महोत्सव का आयोजन-20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)	15.00	7.50

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासंभव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से ही की जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा प्रश्नगत आयोजन के फलस्वरूप पर्यटन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के सापेक्ष अध्ययन कर लिया जायेगा कि इससे क्या लाभ प्राप्त हुए हैं तथा आगामी वर्ष में इसके विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त इस बिन्दु पर भी सम्यक विचार एवं समीक्षा की जायेगी कि एक ही आयोजन हेतु कितने वर्षों तक अनुदान दिया जाना उचित होगा ताकि अन्य आयोजनों हेतु भी अनुदान दिये जाने पर विचार किये जा सके तथा होने वाले आयोजन मात्र अनुदान पर ही निर्भर न हो सकें।

3- प्रस्तर-2 में रखी जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-44 के लेखानुदान में व्यवस्थित धनराशि के अन्तर्गत प्रस्तर-2 में अंकित स्तम्भ-2 में उल्लिखित संगत लेखाशीर्ष/मानक मद के नामे डाला जायेगा।

4- प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
6. संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को क्रम संख्या-3, 4 व 5 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
9. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
10. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in